



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या - 480 राँची, बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

29 अगस्त, 2022

संख्या-03/मुकदमा-03-01/2022 का. 5473--श्री बिजय वर्मा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-34/20), अवर सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के संबंध में दिनांक 25.09.2020 को सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु सम्पन्न प्रोन्नति समिति की बैठक में श्री बिजय वर्मा के संबंध में दिनांक 01.04.2016 से 23.06.2016 तक की अवधि का परफॉरमेन्स स्वमूल्यांकन अनुपलब्ध थी, अतः दिनांक 24.06.2016 से 31.03.2020 तक की परफॉरमेन्स स्वमूल्यांकन की कुल गणना 46 माह रहने के फलस्वरूप समिति द्वारा "यथेष्ट गोपनीय चारित्री के अभाव में प्रोन्नति लम्बित" की अनुशंसा की गई थी। परन्तु प्रोन्नति के योग्य की अनुशंसा नहीं की गई है।

2. विभागीय परिपत्र संख्या 3515 दिनांक 23.07.2020 के आलोक में 05 वर्ष में से कुल 04 वर्ष अर्थात् 48 माह की परफॉरमेन्स स्वमूल्यांकन की उपलब्धता प्रोन्नति हेतु वांछित है। श्री बिजय वर्मा की कुल 48 माह की परफॉरमेन्स स्वमूल्यांकन प्राप्त होने के उपरांत श्री वर्मा के अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु परिचालन के माध्यम से विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा दिनांक 24.12.2020 को प्राप्त हुई।

3. विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा निम्नवत है :-

“दिनांक 25.09.2020 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा के आलोक में प्रोन्नति की अधिसूचना निर्गत की तिथि से अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में सशर्त प्रोन्नति हेतु योग्य।”

4. विभागीय पत्रांक 6752 दिनांक 24.12.2020 द्वारा राज्य सरकार के सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर रोक के आलोक में समिति की अनुशंसा पर अग्रतर कार्रवाई नहीं की जा सकी है।

5. विभागीय पत्रांक 3463 दिनांक 03.06.2022 द्वारा प्रोन्नति पर जारी स्थगन सम्बन्धी आदेश संख्या 6752 दिनांक 24.12.2020 को आहरित करते हुए विभागीय पत्रांक 3479 दिनांक 03.06.2022 द्वारा प्रोन्नति की कार्रवाई का आदेश दिया गया है।

6. WP(S) No. 3843/2021 राजकिशोर प्रसाद एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, WP(S) No. 3405/2021 रश्मि लकड़ा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, WP(S) No. 1390/2021 अशोक कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा WP(S) No.1422/2021 राम सागर तिवारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.01.2022 को न्यायादेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 3539 दिनांक 08.06.2022 के द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों को दिनांक 24.12.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से आर्थिक लाभ प्रदान करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है।

7. श्री बिजय वर्मा के द्वारा दिनांक 28.09.2021 के प्रभाव से सभी परिणामी लाभों के साथ अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान करने हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में WP(S) No.4443/2021 दायर किया गया है।

8. दिनांक 25.09.2020 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि से अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति की अधिसूचना ज्ञापांक 6137 दिनांक 28.09.2021 निर्गत किया गया है।

9. उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 एवं वित्त विभागीय संकल्प सं0- 2074/वि(2), दिनांक 04.04.1985 जो भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति व आर्थिक लाभ नहीं दिये जाने के प्रावधान से सम्बन्धित है एवं अन्य संगत परिपत्रों को विशेष परिस्थिति में शिथिल करते हुए श्री बिजय वर्मा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 34/20), अवर सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 28.09.2021 के भूतलक्षी

प्रभाव से माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित दायर याचिका W.P.(PIL) No.3594/2011 (बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य याचिकाएँ) के क्रम में CBI, AHD, Ranchi Case No. RC 05(A)/ 2012-AHD-R दर्ज रहने के फलस्वरूप अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोर्टि (अपुनरीक्षित वेतनमान- PB-III 15,600-39,100/- ग्रेड पे 7600/ पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-12) में वित्तीय लाभ सहित सशर्त प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

10. प्रस्ताव पर विभागीय संलेख संख्या 4871 दिनांक 03.08.2022 के माध्यम से राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 24.08.2022 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या 03 में राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के अवर सचिव ।
